कार्यालय जिला न्यायाधीश (नजारत अनुभाग), अलीगढ़

ठेका / नीलामी सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि माननीय जनपद न्यायाधीश, अलीगढ़ महोदय के आदेश दिनांकित 20.05.2024 के अनुपालन में वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु जनपद न्यायालय, अलीगढ़ के **वाह्य न्यायालय इगलास** परिसर में **एक चाय-कैंटीन, एक फोटोस्टेट मशीन की दुकान** एवं **एक साइकिल स्टैण्ड** के ठेका की नीलामी दिनांक **27.05.2025** को समय सायं **04:30** बजे जनपद न्यायालय, अलीगढ़ परिसर के लाइब्रेरी भवन स्थित सभागार में होगी। नीलामी में भाग लेने हेतु व्यक्ति विशेष द्वारा आवेदन निम्न दो प्रकार से किया जा सकता है :-

(क) **निविदा द्वारा :- केन्द्रीय नजारत, जनपद न्यायालय, अलीगढ़** के पते पर नीलामी की तिथि तक रजिस्टर्ड डाक/व्यक्तिगत उपस्थिति द्वारा **निविदा/कोटेशन प्रेषित** कर । लिफाफे पर ऊपर स्पष्ट शब्दों में **'वाह्य न्यायालय इगलास परिसर स्थित दुकानों के ठेके की नीलामी वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु'** लिखा होना चाहिये ।

(ख) **व्यक्तिगत उपस्थिति:-** नीलामी की तिथि को तय समय पर व्यक्तिगत रूप से स्वयं उपस्थित होकर ।

उपरोक्त दोनों ही प्रकार से आवेदन करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को, नीलामी की तिथि को, व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना अनिवार्य है । इच्छुक व्यक्तियों को हैसियत, निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड व फोटो की स्वप्रमाणित प्रति प्रस्तुत करनी होगी, साथ ही इससे सम्बन्धित मूल प्रपत्र भी मिलान के लिये दिखाना होगा । बतौर जमानत धनराशि मु० 20,000/- रूपये नीलामी की तिथि को 11:00 PM से 02:00 PM तक जमा करने के पश्चात बोली बोलने का अधिकार प्राप्त होगा । जिस व्यक्ति की अन्तिम बोली स्वीकार की जायेगी वह नियत प्रारूप पर एक संविदा 100/- रूपये के स्टाम्प पेपर पर निष्पादित करेगा । उक्त दुकानों के ठेका की नीलामी से सम्बन्धित नियम व शर्तों की अधिक जानकारी जनपद न्यायालय, अलीगढ़ की अधिकृत बेवसाइट **https://aligarh.dcourts.gov.in** एवं शासकीय बेवसाइट **https://aligarh.nic.in** के माध्यम से व केन्द्रीय नजारत, जनपद न्यायालय, अलीगढ़ से कार्यालय समय में प्राप्त की जा सकती है ।

दिनांक:- 20.05.2025

(सुभाष चन्द्रा-VIII)
अध्यक्ष, नीलामी समिति /
विशेष न्यायाधीश (एस.सी.एस.टी. एक्ट)
अलीगढ़ ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. माननीय जिला न्यायाधीश, अलीगढ़ महोदय को सादर सूचनार्थ प्रेषित ।
2. जनपद न्यायालय, अलीगढ़ के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करनें हेतु ।
3. वाह्य न्यायालयों एवं ग्राम न्यायालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु ।
4. सिविल व फौजदारी बार एसोशियेशन के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु ।
5. कार्यालय जिलाधिकारी, अलीगढ़ के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करनें हेतु ।
6. नगर निगम, अलीगढ़ के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करनें हेतु ।
7. भारतीय स्टेट बैंक मुख्य शाखा, अलीगढ़ के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु ।
8. जिला पंचायत, अलीगढ़ के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु ।
9. सूचना निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग उत्तर प्रदेश, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ कि मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्रांक 1607/Admin. (B-I) Sec. dated: Allahabad: May 10, 2024 द्वारा निर्गत दिशानिर्देशानुसार शासनादेश सं० 562/19-02-2007-1007/74(T.C.) दिनांकित 04.07.2007 के अनुरूप उक्त विज्ञप्ति/सूचना का प्रकाशन अलीगढ़ से प्रकाशित होने वाले कम से कम दो हिन्दी दैनिक समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित कराने का कष्ट करें ।
10. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, अलीगढ़ को इस अनुरोध के साथ कि उक्त विज्ञप्ति / सूचना को https://aligarh.nic.in की वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें ।
11. नोडल ऑफिसर कम्प्यूटर्स को इस अनुरोध के साथ कि उक्त विज्ञप्ति / सूचना को जिला न्यायालय, अलीगढ़ एवं मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की अधिकृत वेबसाईट पर अपलोड कराने का कष्ट करें ।

(सुभाष चन्द्रा-VIII)
अध्यक्ष, नीलामी समिति /
विशेष न्यायाधीश (एस.सी.एस.टी. एक्ट)
अलीगढ़ ।

<u>जनपद न्यायालय अलीगढ़ के वाह्य न्यायालय, इगलास परिसर स्थित दुकानों के ठेका की वार्षिक नीलामी (2025-26) किये जाने हेतु नीलामी समिति की बैठक दिनांकित 17.05.2025 का कार्यवृत्त।</u>

जनपद न्यायालय अलीगढ़ के वाह्य न्यायालय, इगलास परिसर स्थित दुकानों के ठेका की वार्षिक नीलामी (2025-26) किये जाने के सम्बन्ध में आज दिनांक 17.05.2025 को सायं 05:00 बजे नीलामी समिति की बैठक मेरे विश्राम कक्ष में आहूत की गयी। बैठक में समिति के सदस्यगण श्री राकेश वशिष्ठ, अपर जिला जज, कोर्ट सं०-03, अलीगढ़ एवं श्री संजय कुमार यादव-I, विशेष न्यायाधीश (ई०सी० एक्ट), अलीगढ़ उपस्थित आये। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय नाजिर एवं द्वितीय सहायक नाजिर मय अभिलेख उपस्थित रहे।

समिति द्वारा प्रभारी अधिकारी नजारत के पत्र दिनांकित 02.05.2025 पर मा० जनपद न्यायाधीश महोदय के आदेश दिनांकित 02.05.2025 पर विचार-विमर्श किया गया। उक्त पत्र में दिये गये विवरणानुसार, श्री गन्धर्व पटेल, न्यायिक मजिस्ट्रेट, इगलास, अलीगढ़ के द्वारा माननीय महोदय को प्रेषित पत्र दिनांकित 05.04.2025 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि उनके पत्र दिनांकित 17.03.2025 पर माननीय महोदय के आदेश दिनांकित 25.03.2025 से वाह्य न्यायालय इगलास परिसर स्थित ठेकों की नीलामी वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए सम्पन्न कराये जाने हेतु अनुमति प्रदान की गयी थी। अनुमति प्राप्ति पश्चात दिनांक 01.04.2025 को सायं 04:00 बजे नीलामी प्रक्रिया न्यायालय परिसर इगलास में ही आरम्भ करायी गयी। उक्त ठेकों की नीलामी के लिए इच्छुक व्यक्ति श्री देवेन्द्र सिंह पुत्र श्री मुकुन्दी लाल, श्री संजीव कुमार पुत्र श्री देवी सिंह, राहुल कुमार पुत्र श्री राजकुमार, श्री दीपक कौशिक पुत्र श्री मूलचन्द्र व श्री विनीत कुमार पुत्र श्री राजेन्द्र सिंह निवासीगण इगलास, अलीगढ़ उपस्थित आये। विगत वर्षों में जितने मूल्य पर ठेका की नीलामी की गई थी, वहीं से बोली आरम्भ की गई, परन्तु नीलामी की धनराशि अधिक होने के कारण किसी व्यक्ति व्यक्ति ने बोली नहीं लगाई, जिस कारण नीलामी प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो सकी। जिसके सम्बन्ध में उचित दिशानिर्देश हेतु अनुरोध किया गया है, जिस पर माननीय महोदय के आदेश दिनांकित 11.04.2025 से नजारत अनुभाग से आख्या आहूत की गयी है।

तत्सम्बन्ध में केन्द्रीय नाजिर की आख्या दिनांकित 01.05.2025 के अनुसार, जज़शिप अलीगढ़ के वाह्य न्यायालय इगलास परिसर में **एक चाय-कैंटीन, एक फोटोस्टेट मशीन की दुकान एवं एक साइकिल स्टैण्ड के ठेका** की नीलामी **विगत वित्तीय वर्ष 2024-25** के लिये न हो पाने के सम्बन्ध में जनपद न्यायालय, अलीगढ़ के पत्रांक 1570/XV-सिविल, अलीगढ़ दिनांकित 31.05.2024 द्वारा मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को सूचना प्रेषित कर उचित दिशानिर्देश जारी करने हेतु अनुरोध किया गया था। जिसके प्रतिउत्तर में **मा० न्यायालय के पत्रांक 4157/Admin. (B-I) Section dated 07.03.2025 में उल्लिखित परिपत्र संख्या 797/Admin (B-I), dated 15.03.1994** में निहित प्रावधानों के आलोक में विगत वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए **सीलबंद निविदा आमंत्रित कर के, प्रतिस्पर्धी तरीके से** और नीलामी की सूचना के प्रकाशन के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या 562/19-2-2007-1007/74(T.C.) दिनांकित 04.07.2007 में जारी निर्देशों का पालन करते हुए सीलबंद निविदाओं के आमंत्रण की सूचना के व्यापक प्रकाशन के बाद, वाह्य न्यायालय इगलास परिसर स्थित चाय-कैंटीन की दुकान, फोटोस्टेट मशीन की दुकान एवं साइकिल स्टैण्ड की नीलामी करने का प्रयास करने के साथ ही परिसर में अनाधिकृत दुकानें न चलना सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया था।

समिति द्वारा सम्बन्धित पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का विस्तृत रूप से अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 व 2023-24 में साइकिल स्टैण्ड का ठेका नहीं उठ सका है। जबकि वित्तीय वर्ष 2024-25 में **एक चाय-कैंटीन, एक फोटोस्टेट मशीन की दुकान व** साइकिल स्टैण्ड के ठेका की नीलामी हेतु कोई भी बोलीकर्ता उपस्थित न होने के कारण उपरोक्त तीनों दुकानों का ठेका वित्तीय वर्ष 2024-25 में नहीं उठाया जा सका है, जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नवत है :-

जजशिप अलीगढ़ के वाह्य न्यायालय इगलास परिसर के दुकानों के ठेका की नीलामी का गत वर्षों का संक्षिप्त विवरण

(धनराशि रूपये में)

वित्तीय वर्ष	फोटोस्टेट की दुकान हेतु उच्चतम बोली	चाय–कैंटीन की दुकान हेतु उच्चतम बोली	साईकिल स्टैण्ड हेतु उच्चतम बोली
2014-15	11,000/-	2,200/-	2,000/-
2015-16	12,500/-	8,500/-	4,500/-
2016-17	13,000/-	9,000/-	5,000/-
2017-18	14,000/-	10,000/-	6,000/-
2018-19	14,050/-	10,100/-	6,100/-
2019-20	15,700/-	11,300/-	7,000/-
2020-21	20,000/-	20,000/-	15,000/-
2021-22	23,500/-	23,000/-	50,000/-
2022-23	36,000/-	25,500/-	उक्त ठेका न उठाये जाने के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय को पत्रांक 2825/ XV-सिविल, अलीगढ़ दिनांकित 15.12.2022 द्वारा सूचना प्रेषित की गयी है।
2023-24	69,000/-	90,000/-	उक्त ठेका न उठाये जाने के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय को पत्रांक 1078/ XV-सिविल, अलीगढ़ दिनांकित 19.04.2023 द्वारा सूचना प्रेषित की गयी है।
2024-25	उपरोक्त तीनों दुकानों के ठेका हेतु किसी भी आवेदनकर्ता/ बोलीकर्ता द्वारा नीलामी में प्रतिभाग नहीं किये जाने पर उचित दिशानिर्देश जारी किये जाने के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय को पत्रांक 1570/ XV-सिविल, अलीगढ़ दिनांकित 31.05.2024 द्वारा सूचना प्रेषित की गयी है।		

समिति द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा निर्गत C.L. No. 4004/Admn. (B-I) Section dated December 21, 1992 और C.L. No. 797/Admn. (B-I) Section dated March 15, 1994 में दिये गये दिशानिर्देशों पर विचार-विमर्श किया गया जो निम्नवत हैं :-

1. **In the matter of auction of shops or any other property in the Civil Court Compound, last year's maximum bid for such shops or other property should be taken as the reserved bid and, if the highest bid at the auction is below the reserved bid, the matter should be referred to the Court for approval.**
2. **Normally, the shops in civil court compounds be settled in favour of persons who are the highest bidders in the open public auction on yearly basis and, in special circumstances, the Court can give, permission for inviting sealed tenders.**

उपरोक्त दिशानिर्देशों को दृष्टिगत रखते हुए समिति द्वारा **वित्तीय वर्ष 2025-26** के लिये दुकानों के ठेका की नीलामी हेतु **नियम व शर्तें** प्रस्तावित की जा रही हैं, जो निम्नवत हैं :-

वाह्य न्यायालय इगलास परिसर स्थित दुकान/ठेका नीलामी वर्ष 2025–26 के लिए नियम व शर्तें :–

1– यह दुकान/ठेका की नीलामी दिनांक **31.03.2026** तक के लिए वैध होगी।

2– दुकान/ठेका की नीलामी की कार्यवाही दिनांक **27.05.2025** को सायं **04:30** बजे जनपद न्यायालय, अलीगढ़ परिसर के **लाइब्रेरी भवन स्थित सभागार** में सम्पादित होगी।

3– सम्बन्धित ठेका/दुकान की पिछले वर्ष हेतु स्वीकृत धनराशि ही ठेका/दुकान की इस वर्ष नीलामी हेतु न्यूनतम आरक्षित धनराशि होगी।

4– नीलामी में भाग लेने हेतु व्यक्ति विशेष द्वारा आवेदन निम्न दो प्रकार से किया जा सकता है :-

(क) **निविदा द्वारा:-** **'केन्द्रीय नजारत, जनपद न्यायालय, अलीगढ़** के पते पर नीलामी की तिथि तक रजिस्टर्ड डाक/व्यक्तिगत उपस्थिति द्वारा **निविदा/कोटेशन प्रेषित** कर । लिफाफे पर ऊपर स्पष्ट शब्दों में **'वाह्य न्यायालय इगलास परिसर स्थित दुकानों के ठेके की नीलामी वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु'** लिखा होना चाहिये ।

(ख) **व्यक्तिगत उपस्थिति:-** नीलामी की तिथि को तय समय पर व्यक्तिगत रूप से स्वयं उपस्थित होकर ।

उपरोक्त दोनों ही प्रकार से आवेदन करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को, नीलामी की तिथि को, व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना अनिवार्य है । बोलीकर्ता को अपना हैसियत एवं निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड व फोटो स्वप्रमाणित करते हुए प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा तथा इससे सम्बन्धित मूल प्रपत्र भी मिलान के लिए दिखाना होगा। इन प्रपत्रों के अभाव में किसी भी व्यक्ति को नीलामी में भाग लेने का अधिकार नहीं होगा।

5– नीलामी में भाग लेने वाले जिन व्यक्तियों को पूर्व में परिसर में कोई भी दुकान/ठेका आवंटित किया गया था, उससे सम्बन्धित कोई भी धनराशि अवशेष होने की दशा में उन्हें वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए किसी भी दुकान/ठेका की नीलामी में भाग लेने का अधिकार नहीं होगा।

6– प्रत्येक बोलीकर्ता को नीलामी में भाग लेने हेतु जमानत धनराशि रु० 20,000/- (बीस हजार) केन्द्रीय नजारत में केन्द्रीय नाजिर/कैशियर के पास नीलामी की तिथि को 11:00 PM से 02:00 PM तक जमा करनी होगी । यदि बोलीकर्ता के पक्ष में बोली स्वीकृत नहीं होती है तो नीलामी प्रक्रिया की समाप्ति उपरान्त जमानत धनराशि उस व्यक्ति को वापस कर दी जायेगी ।

7– नीलामी की अंतिम बोली स्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार माननीय जिला न्यायाधीश, अलीगढ़ को होगा।

8– माननीय जिला न्यायाधीश द्वारा बिना कारण बताये व विशेष परिस्थितियों में उच्चतम बोली को भी अस्वीकार किया जा सकता है। किसी भी दशा में प्रत्येक दुकान/ठेके की नीलामी राशि पिछले वर्ष की नीलामी राशि की तुलना में कम स्वीकार नहीं की जायेगी।

9– जिस व्यक्ति की अंतिम बोली स्वीकृत की जायेगी, वह नियत प्रारूप पर एक संविदा सौ रूपये के स्टाम्प पेपर पर निष्पादित करेगा।

10– आवंटी को ठेके की राशि का भुगतान निम्न रूप से करना होगा :–

(क) रूपये 20,000/– नीलामी के पूर्व (जमानत धनराशि के रूप में),

(ख) ठेके की कुल धनराशि की 25 % धनराशि बोली स्वीकृत के 24 घण्टे के अन्दर ।

(ग) यदि आवंटी बोली की 25 % धनराशि तय समय में जमा नहीं करता है तो उसकी जमानत धनराशि जब्त कर ली जायेगी ।

(घ) कुल अवशेष धनराशि आवंटन के तीन माह के अन्दर ।

11– आवंटी किसी भी दशा में उसे आवंटित दुकान/ठेके को किसी अन्य को न ही स्थानान्तरित कर सकता है और न ही किसी अन्य व्यक्ति को किराये पर दे सकता है।

12– प्रत्येक आवंटी/दुकानदार अपनी दुकान ठेके में उन्हीं वस्तुओं की बिक्री अथवा ठेके का संचालन करेगा, जिसके निमित्त उसे दुकान/ठेका आवंटित किया गया है, किसी भी आवंटी/दुकानदार को अपने हॉकर द्वारा न्यायालय परिसर में घूम–घूम कर सामानों की बिक्री कराये जाने का अधिकार नहीं होगा। उपरोक्त प्रतिबंधों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में उसका आवंटन निरस्त किया जा सकता है।

13– प्रत्येक आवंटी/दुकान को न्यायालय परिसर में जिस स्थान विशेष पर अथवा जितने क्षेत्रफल पर दुकान/ठेका आवंटित किया गया है, उसे उतने क्षेत्रफल एवं उसी स्थिति में ही अपनी दुकान/ठेकों को चलाने का अधिकार प्राप्त होगा। आवंटी को अपनी दुकान/ठेके के स्थल की साफ सफाई भी स्वयं

रखनी होगी एवं कूड़ेदान की व्यवस्था स्वयं करनी होगी। इसका उल्लंघन करने पर उसके दुकान/ठेका आवंटन किसी भी समय निरस्त किया जा सकता है। यदि आवंटी किसी सहायक को रखकर अपना काम कराता है तो उसका आधार कार्ड की छायाप्रति पहचान पत्र के तौर पर जमा करेगा।

14– वर्ष 2025–26 के लिए आवंटित दुकानों/ठेकों का आवंटन दिनांक 31.03.2026 को स्वमेव समाप्त हो जायेगा। विशेष परिस्थितियों में इस अवधि के पूर्व भी माननीय जिला न्यायाधीश, अलीगढ़ द्वारा आवंटन निरस्त किया जा सकता है। आवंटन प्राप्तकर्ता प्रत्येक आवंटी/दुकानदार द्वारा अपने अपने ठेके को चलाने के लिए प्राप्त आवंटित स्थल पर यदि कोई निर्माण कार्य आवश्यक हो तो जिला न्यायाधीश महोदय से पूर्व अनुमति लेकर ही करेगे जो कि पूर्णतया अस्थाई होगा एवं उसे वह दिनांक 31.03.2026 तक आवंटित अवधि के पश्चात् उक्त स्थल से अपने व्यय से हटा लेगा। यदि आवंटियों द्वारा किसी भी प्रकार से विद्युत का उपभोग उनके कार्य के लिए आवश्यक है तो सम्बन्धित आवंटी ही अपने व्यय पर विद्युत कनेक्शन लेगा। आवंटी किसी भी दशा में परिसर में आपूर्ति की जा रही सरकारी विद्युत का प्रयोग नहीं करेगा। इसका उल्लंघन करने पर उसके दुकान/ठेके का आवंटन माननीय जिला न्यायाधीश द्वारा निरस्त कर दिया जायेगा।

15– आवंटी द्वारा सरकार/नगर निगम/अन्य स्थानीय निकायों को देय किसी भी कर/फीस/व्यय का भार स्वयं वहन किया जाएगा। इस हेतु न्यायिक प्रतिष्ठान की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

16– ठेके से सम्बन्धित किसी भी प्रकार की कानूनी कार्यवाही हेतु क्षेत्राधिकार जनपद न्यायालय, अलीगढ़ होगा।

बैठक में सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु जनपद न्यायालय, अलीगढ़ के वाह्य न्यायालय, इगलास परिसर में एक चाय-कैंटीन, एक फोटोस्टेट मशीन की दुकान व एक साइकिल स्टैण्ड के ठेका की नीलामी हेतु कोई भी बोलीकर्ता उपस्थित न होने के कारण एवं **मा० न्यायालय के पत्रांक 4157/Admin. (B-I) Section dated 07.03.2025 में उल्लिखित परिपत्र संख्या 797/Admin (B-I), dated 15.03.1994** में निहित प्रावधानों के आलोक में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए वाह्य न्यायालय, इगलास परिसर में एक चाय-कैंटीन, एक फोटोस्टेट मशीन की दुकान व एक साइकिल स्टैण्ड के ठेका की नीलामी **सीलबंद निविदा आमंत्रित कर के, प्रतिस्पर्धी तरीके से किया जाये ।** उक्त विज्ञप्ति का व्यापक प्रचार-प्रसार समस्त राजकीय विभागों के सूचना पटल के माध्यम से तथा कम से कम दो राष्ट्रीय समाचार पत्रों में विज्ञप्ति प्रकाशन करा कर किया जा सकता है ।

तदानुसार, आज दिनांक 17.05.2025 का कार्यवृत्त माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय की सेवा में अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ सादर प्रेषित है ।

17/5/25 | 17-5-25 | 17.05.2025
(संजय कुमार यादव-I)
सदस्य, नीलामी समिति /
विशेष न्यायाधीश (ई०सी० एक्ट)
अलीगढ़ ।

(राकेश वशिष्ठ)
सदस्य, नीलामी समिति /
अपर जिला जज, कोर्ट सं०-03,
अलीगढ़ ।

(सुभाष चन्द्रा-VIII)
अध्यक्ष, नीलामी समिति /
विशेष न्यायाधीश (एस.सी./एस.टी. एक्ट)
अलीगढ़ ।

Approved
20/05/2025
Distt. & Sess's Judge
ALIGARH